अनुलग्नक-4

मार्गदर्शन नोट - क्लाइंट्स के लिए करने के लिए योग्य और नहीं करने योग्य बातें

ऐसा करें

1. एक्सचेंज के केवल पंजीकृत सदस्यों के माध्यम से ट्रेड करें। एक्सचेंज में सदस्य पंजीकृत है या नहीं, यह जानने के लिए निम्न लिंक .... पर एक्सचेंज की वेबसाइट देखें।
2. ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप मानक 'अपने ग्राहक (client / investor) को जानें (KYC)' फार्म भरे जाने का आग्रह करें।
3. एक अद्वितीय क्लाइंट कोड (UCC) प्राप्त करने पर का आग्रह करें ओर सुनिश्चित करें कि आपके सभी सौदे उक्त UCC के तहत ही किए जाएं।
4. 'जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज (Risk Disclosure Document)' की एक मानक प्रति पढ़ने और उस पर हस्ताक्षर करने का आग्रह करें।
5. अपने KYC तथा/या आप द्वारा सदस्य (Members / Stock Brokers) के साथ निष्पादित अन्य दस्तावेजों की एक प्रति सदस्य से प्राप्त करें।
6. एक्सचेंज पर किए जाने वाले सौदों की असलियत की दोहरी जाँच निम्न लिंक पर एक्सचेंज की वेबसाइट ....-पर उपलब्ध ट्रेड सत्यापन सुविधा से करें। सौदों को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है जहाँ ट्रेड जानकारी ट्रेड की तिथि से 5 कार्यदिवसों तक उपलब्ध होती है।
7. प्रत्येक निष्पादित ट्रेड के लिए, ट्रेड के 24 घंटों के अंदर, निर्दिष्ट प्रारूप में एक समुचित हस्ताक्षरित कांट्रैक्ट नोट हेतु आग्रह करें जिसमें आपके UCC के साथ ट्रेड के विवरण दिए गए हों।
8. सुनिश्चित करें कि कांट्रैक्ट नोट में सभी संबंधित जानकारी हो जैसे कि सदस्य पंजीकरण संख्या, आर्डर सं., आर्डर की तिथि, आर्डर का समय, ट्रेड सं., ट्रेड दर, मात्रा, विवाचन उपबंध इत्यादि।
9. सदस्य के पास मार्जिन के रूप में जमा बंधकों की पावती प्राप्त करें।
10. अपने तथा सदस्य के अधिकार व कर्तव्य जानने के लिए एक्सचेंज तथा नियामकों, सरकार व अन्य प्राधिकारियों के नियम, उप-नियम, विनियम, परिपत्र, निर्देशक, अधिसूचनाएं आदि देखें।
11. लेनदेन करने से पहले अपने सदस्य से सभी संबंधित प्रश्न पूछें और अपने संदेह दूर करें।
12. प्रत्येक निपटान के बिलों की प्राप्ति हेतु आग्रह करें।
13. अपने खाते के मासिक विवरण हेतु आग्रह करें और विवरण में किन्हीं विसंगतियों की सूचना अपने सदस्य को 7 कार्यदिवसों के अंदर दें। असंतोषजनक उत्तर की स्थिति में विसंगति की रिपोर्ट एक्सचेंज को कार्यवाही तिथि से 15 कार्यदिवसों के अंदर करें।
14. अपने डिपॉजिटरी भागीदार से प्राप्त लेनदेन व होल्डिंग विवरणों की बारीकी से जाँच करें।
15. DP द्वारा निर्गत डिलीवरी निर्देश पर्चियां (DIS) पुस्तक सुरक्षित कब्जे में रखें।
16. सुनिश्चित करें कि DIS संख्या पहले से छपी हो और आपका खाता नम्बर (UCC) DIS पुस्तक में लिखा हो।

17. लम्बी अवधि तक अपनी अनुपस्थिति या खाता अक्सर उपयोग न किए जाने के मामले में अपना डीमैट खाता फ्रीज कर दें।
18. आवश्यक मार्जिनों का भुगतान समय से, तथा केवल चैक द्वारा करें और सदस्य से उसकी रसीद देने का आग्रह करें।
19. बिक्री की स्थिति में कमोडिटीज (commodities) की डिलीवरी या खरीद की स्थिति में धनराशि का भुगतान समय से करें।
20. डेरिवेटिव्स (derivatives) के लिए खाता मानकों को समझें और उनका पालन करें।
21. आपके व सदस्य के बीच सहमतिप्राप्त स्वैच्छिक उपबंधों, यदि कोई हों, को पढ़ना, समझना और फिर उन पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें। नोट करें कि आप व सदस्य द्वारा सहमतिप्राप्त उपबंध आपकी सहमति के बिना बदले नहीं जा सकते हैं।
22. सदस्य द्वारा आपसे ट्रेडिंग हेतु लिए जाने वाले समस्त दलाली, कमीशनों, शुल्कों व अन्य प्रभारों तथा SEBI कमोडिटी एक्सचेंजों (Commodity Exchanges) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रासंगिक प्रावधानों/दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें।
23. सदस्य के पक्ष में देय खाते में भुगतान (एकाउंट पेयी) चैक द्वारा भुगतान करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास सदस्य को आप द्वारा भुगतान/कमोडिटीज (Commodities) जमा, आरंभ तिथि, कमोडिटी, मात्रा, जिस बैंक/डीमैट खाते में (गोदाम रसीदों के रूप में) और जिस बैंक/डीमैट खाते से जमा किया गया हो, उसके दस्तावेजी साक्ष्य हों।
24. आप द्वारा सदस्य को चालू खाता बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में, एक्सचेंज से भुगतान प्राप्ति से एक कार्यदिवस में निधियों के भुगतान या कमोडिटीज की डिलीवरी (जैसा भी मामला हो) आपको नहीं की जाएगी। अतः इस संबंध में आप द्वारा सदस्य को चालू खाता प्राधिकार पर निम्न शर्तें लागू होंगीः
    a) आप द्वारा ऐसे प्राधिकार पर केवल आप द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और वे उपबंध निहित हों जो आप किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
    b) खाता विवरण से संबंधित कोई विवाद, आपको निधियों/कमोडिटीज या विवरण, जैसा भी मामला हो, की प्राप्ति की तिथि से 7 (सात) कार्यदिवसों के अंदर सदस्य के संज्ञान में लाना होगा। विवाद की स्थिति में मामले से लिखित रूप में संबंधित कमोडिटी एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ को अविलम्ब सूचित करें।
    c) यदि आपने चालू खाता बनाए रखने का विकल्प नहीं चुना हो और एक्सचेंजों से भुगतान प्राप्ति के बाद अगले कार्यदिवस में भुगतान प्राप्त न हुआ हो तो कृपया मामले से सदस्य को अवगत कराएं। कोई विवाद होने की स्थिति में लिखित रूप में संबंधित कमोडिटी एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ के समक्ष तत्काल शिकायत दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
    d) ट्रेडिंग दिवस के आखिर में, कमोडिटी एक्सचेंजों से ट्रेड पुष्टिकरण अलर्ट्स/लेनदेन के विवरण SMS या ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए कृपया अपना मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी सदस्य के यहां पंजीकृत कराएं।

25. विशेषरूप से कमोडिटी डेरिवेटिव (Commodity Derivative) बाज़ार में भुगतानचूक या सदस्य के ऋणशोधन अक्षम या दिवालिया हो जाने की स्थिति में, आपको खुद को उस धनराशि या अन्य संपत्ति के संरक्षण प्रावधानों से भलीभांति परिचित कर लेना चाहिए जो आपने अपने सदस्य के पास जमा की हो सकती है।
26. कृपया सुनिश्चित करें कि सदस्य के पास ऐसी धनराशि या संपत्ति जमा होने का दस्तावेजी साक्ष्य आपके पास मौजूद हो, जिसमें इसका जिक्र हो कि किस खाते में वह धनराशि या संपत्ति जमा की गई है।
27. संबंधित सदस्य/अधिकृत व्यक्ति द्वारा आपकी समस्या/शिकायत/मसले का समाधान न किए जाने की स्थिति में, आप मामले को संबंधित कमोडिटी एक्सचेंज के समक्ष ले जा सकते हैं। यदि आप अपने परिवाद के समाधान से संतुष्ट न हों तो आप मामला SEBI के समक्ष उठा सकते हैं।

ऐसा मत करें

1. किन्हीं अपंजीकृत मध्यस्थों से सौदे मत करें।
2. बाज़ार के बाहर लेनदेन मत करें क्योंकि ऐसे लेनदेन गैरकानूनी होते हैं और एक्सचेंज के अधिकारक्षेत्र के बाहर होते हैं।
3. किसी सदस्य से सुनिश्चित प्रतिफल समझौता मत करें।
4. लुभाने वाले विज्ञापनों, अफवाहों, आकस्मिक सुझावों, प्रतिफलों के स्पष्ट/अंतर्निहित वादों के झांसे में मत आएं।
5. सदस्य को कोई नकद भुगतान मत करें/मार्जिन और निपटान के संबंध में सदस्य से कोई नकद लेनदेन मत करें।
6. जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज पढ़ने और समझने से पहले ट्रेडिंग मत शुरू करें।
7. फोन पर दिए उच्चतर मूल्य के आर्डरों को लिखित में कर लेने के प्रति लापरवाही मत करें।
8. बिना हस्ताक्षर के/प्रतिलिपि कांट्रैक्ट नोट/पुष्टिकरण मेमो स्वीकार मत करें।
9. किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कांट्रैक्ट नोट/पुष्टिकरण मेमो स्वीकार मत करें।
10. अपने इंटरनेट ट्रेडिंग खाते का पासवर्ड किसी को मत बताएं।
11. सदस्य को कमोडिटीज के भुगतान/डिलीवरी में विलम्ब मत करें।
12. निवेशों से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखना मत भूलें।
13. कमोडिटीज तैयार करते समय रिक्त निर्देश पर्चियों (DIS) पर हस्ताक्षर मत करें, समय की बचत के लिए डिपाजिटरी साझेदार (DP) या सदस्य के पास वे जमा करें और/या रखें।
14. एक्सचेंज द्वारा निर्धारित दर से अधिक ब्रोकरेज का भुगतान मत करें।
15. अधिकृत व्यक्ति के नाम से चैक जारी मत करें।

अनुलग्नक A

इलेक्ट्रॉनिक कांट्रैक्ट नोट (ईसीएन)-घोषणा
(स्वैच्छिक)

सेवार्थ,
(एक्सचेंज पर सदस्य का नाम)
प्रिय महोदय,

मैं, ____________________________जो कि _______________एक्सचेंज के सदस्य मेसर्स _______________ ________________का एक क्लाइंट हूं, निम्न जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं:

- मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा किए गए सभी ट्रेड्स के संबंध में सदस्य को मुझे भौतिक कांट्रैक्ट नोट प्रदान करना होगा, जब तक कि मैं खुद उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में न चाहूं।
- मुझे ज्ञात है कि सदस्य मुझे मेरी सुविधा के अनुसार केवल मेरे अनुरोध पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कांट्रैक्ट नोट उपलब्ध कराएगा।
- यद्यपि सदस्य से भौतिक कांट्रैक्ट नोट प्रदान किया जाना अपेक्षित है, लेकिन मेरे लिए भौतिक कांट्रैक्ट नोट प्राप्त करना असुविधाजनक है। अतएव मैं मेरे द्वारा किए/आर्डर दिए गए सभी ट्रेडों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक कांट्रैक्ट नोट दिए जाने के लिए स्वेच्छा से अनुरोध करता हूं।
- मेरी कम्प्यूटर तक पहुंच है और मैं नियमित इंटरनेट उपयोक्ता हूं, मुझे ईमेल संचालन का पर्याप्त ज्ञान है।
- मेरा ईमेल आईडी* ____________________________________है। इसे मेरे द्वारा निर्मित किया गया है तथा किसी अन्य द्वारा निर्मित नहीं किया गया है।
- मुझे ज्ञात है कि यह घोषणा पत्र अंग्रेजी में, या मुझे ज्ञात किसी अन्य भाषा में है।
- मुझे ज्ञात है कि सदस्य द्वारा प्रेषित मेल सूचना बाउंस होने पर अप्राप्त रहने की स्थिति में, उक्त ईमेल आईडी पर कांट्रैक्ट नोट की डिलीवरी मानी जाएगी।

  उक्त घोषणा तथा ईसीएन के बारे में इस परिशिष्ट में दिए गए दिशानिर्देश मेरे द्वारा पढ़ और समझ लिए गए हैं। मुझे भौतिक कांट्रैक्ट नोट छोड़ने से जुड़े जोखिम ज्ञात हैं और मैं एतद्द्वारा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं।
  • *(ईमेल आईडी क्लाइंट की अपनी लिखावट में ही उसके द्वारा लिखी जाए)*

क्लाइंट का नामः ____

अद्वितीय क्लाइंट कोडः ____

पैनः ____

पताः ____

क्लाइंट के हस्ताक्षरः

दिनांकः

स्थानः

क्लाइंट के हस्ताक्षर का सत्यापन जिसके द्वारा किया गया

सदस्य के नामित अधिकारी का नाम

हस्ताक्षर

(KYC दस्तावेजों का) अनुलग्नक-3
सदस्यों (Members/ Stock Brokers), प्राधिकृत व्यक्तियों (Authorized Persons) तथा ग्राहकों (client / investor) के अधिकार एवं दायित्व
SEBI एवं कमोडिटी एक्सचेंजों (Commodity Exchanges) द्वारा निर्धारित

1. ग्राहक एक्सचेंजों/ SEBI के नियमों, उप-नियमों और कारोबारी नियमों/विनियमों एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों/नोटिसों में दी गई परिभाषा के अनुसार एक्सचेंजों में/पर सौदा करने के लिए प्रस्तुत की गई उन कमोडिटीज (commodities)/कांट्रैक्ट्स (अनुबंधों)/अन्य विलेखों (इंस्ट्रूमेंट्स) में निवेश/ट्रेड करेगा।

2. सदस्य, अधिकृत व्यक्ति और ग्राहक समय समय पर प्रभावी हो सकने वाले एक्सचेंज द्वारा जारी सभी नियमों, उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों तथा उनके अंतर्गत जारी किए गए परिपत्रों/नोटिसों तथा SEBI के नियमों एवं विनियमों एवं सरकारी प्राधिकारियों की अधिसूचनाओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

3. ग्राहक कमोडिटीज में सौदा करने और/या डेरिवेटिव (derivative) कांट्रैक्ट्स में सौदा करने के लिए सदस्य की क्षमता से स्वयं संतुष्ट होगा और सदस्य के माध्यम से अपने आदेशों को निष्पादित करने की इच्छा रखता है, और ग्राहक समय-समय पर सदस्य के माध्यम से आदेशों को निष्पादित करने से पहले उसकी क्षमता से स्वयं को संतुष्ट करता रहेगा।

4. सदस्य लगातार ग्राहक की वास्तविकता एवं वित्तीय मजबूती एवं दी जाने वाली सेवाओं के अनुसार निवेश उद्देश्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।

5. सदस्य ग्राहक को सदस्य की कार्य सीमा, देयता या क्षमता सहित किए जाने वाले व्यवसाय के लिए सदस्य की देयता की निर्धारित प्रकृति के बारे में जानकारी देने के लिए कदम उठाएगा।

6. पेशेवर तत्परता की अपेक्षाएं
    a. सदस्य कोई वित्तीय अनुबंध करते समय या उसके तहत किन्हीं दायित्वों का पालन करते समय पेशेवर तत्परता से ही काम करेगा।
    b. "पेशेवर तत्परता" का अर्थ उस कुशलता व सावधानी के मानक से है जो सदस्य द्वारा किसी ग्राहक से व्यवहार करते समय तर्कसंगत ढंग से अपेक्षा की जाती है जो निम्न के अनुरूप हो-
        i. ईमानदारी भरा बाज़ार व्यवहार;
        ii. सद्भाव का सिद्धांत;
        iii. ग्राहक के ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता का स्तर;
        iv. ग्राहक द्वारा प्राप्त किए जा रहे वित्तीय उत्पाद* या वित्तीय सेवा में निहित जोखिम की प्रकृति और मात्रा; और
        सदस्य पर ग्राहक की निर्भरता की सीमा।

* कमोडिटी डेरिवेटिव (Commodity Derivative) अनुबंध

7. अधिकृत व्यक्ति, ग्राहक के साथ सभी सौदों में सदस्य को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगा।

ग्राहक के बारे में जानकारी

8. ग्राहक वे सभी विवरण समय-समय पर कमोडिटी एक्सचेंजों/SEBI द्वारा अनिवार्य समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगा जो सदस्य के लिए "खाता खोलने के फॉर्म" में दिया जाना आवश्यक है।

9. ग्राहक, खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में सभी अनिवार्य प्रावधानों के बारे में जानेगा। सदस्य द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त उपबंध या दस्तावेज गैर-जरूरी होगा, अतएव यह ग्राहक की स्वीकार्यता के अधीन होगा।

10. ग्राहक समाप्ति आवेदन/ऋणशोधन आवेदन या किसी भी अभियोग सहित - जिसका उसकी क्षमता पर कोई भी प्रभाव हो सकता है- खाता खोलने के समय या उसके बाद 'खाता खोलने के फॉर्म' में दी गई जानकारी में कोई भी परिवर्तन होने पर तुरंत ही सदस्य को लिखित में सूचित करेगा। ग्राहक आवधिक आधार पर सदस्य को वित्तीय जानकारी प्रदान करेगा/अद्यतित करेगा।

11.A. वित्तीय अनुबंधों में अनुचित शर्तों से बचाव**

a. गैर बातचीत से तय किए गए अनुबंध की अनुचित शर्त अमान्य हो जाएगी।

b. एक शर्त अनुचित है यदि यह-

    i. वित्तीय अनुबंध में शामिल पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों में महत्वपूर्ण असंतुलन, ग्राहक की हानि का कारण बनती है; और

    ii. सदस्य के वैध हितों की रक्षा करने के लिए यथोचित आवश्यक नहीं है।

c. शर्त अनुचित है इसका निर्धारण करते समय विचार किए जाने वाले कारकों में शामिल हैं-

    i. वित्तीय अनुबंध के तहत पेश किए गए वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा की प्रकृति;

    ii. शर्त की पारदर्शिता की सीमा;

**कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा प्रस्तुत अनुबंध

    iii. सीमा जहां तक शर्त एक ग्राहक को समान वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं के लिए अन्य वित्तीय अनुबंधों; तथा

    iv. पूरे वित्तीय अनुबंध एवं किसी अन्य अनुबंध की शर्तों जिस पर यह निर्भर है, के साथ इसकी तुलना करने की अनुमति देती है।

d. शर्त पारदर्शी है यदि यह –

    i. उस यथोचित सरल भाषा में व्यक्त की गयी है जो ग्राहक द्वारा समझी जा सकती है;

    ii. सुपाठ्य और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गयी है; तथा

    iii. शर्त से प्रभावित ग्राहक के लिए आसानी से उपलब्ध है।

e. यदि वित्तीय अनुबंध की शर्त बिन्दु 11.A.c के तहत अनुचित निर्धारित की जाती है तो पक्ष वित्तीय अनुबंध की शेष शर्तों से उस सीमा तक बाध्य रहेंगे जहां तक वित्तीय अनुबंध अनुचित शर्त के बिना लागू किया जा सकता है।

11.B.

a. "गैर बातचीत से तय किया गया अनुबंध" का अर्थ है कि वह अनुबंध जिसकी बिन्दु 11.C. (नीचे दिए गए) में निहित शर्तों को छोड़कर अन्य शर्तें वित्तीय अनुबंध के लिए पक्षों के बीच तय नहीं की गयी हैं और इसमें शामिल हैं –

   i. वित्तीय अनुबंध जिसमें, वित्तीय अनुबंध की शर्तें निर्धारित करने में ग्राहक की तुलना में सदस्य के पास वस्तुतः अधिक सौदा शक्ति होती; और

   ii. एक मानक फार्म अनुबंध।

b. "मानक फार्म अनुबंध" का अर्थ है कि वह वित्तीय अनुबंध जिसकी बिन्दु 11.C. में निहित शर्तों को छोड़कर अन्य शर्तें ग्राहक के लिए काफी हद तक बातचीत करने योग्य नहीं हैं।

c. यद्यपि वित्तीय अनुबंध की कुछ शर्तें फार्म में तय की गयी हैं फिर भी वित्तीय अनुबंध गैर बातचीत से तय किए गए अनुबंध के रूप में माना जा सकता है यदि ऐसा निम्न द्वारा प्रकट किया जाता है –

   i. वित्तीय अनुबंध के समग्र एवं ठोस मूल्यांकन द्वारा; और

   ii. वित्तीय अनुबंध के आसपास पर्याप्त परिस्थितियों द्वारा

d. उस दावे में कि वित्तीय अनुबंध एक गैर बातचीत से तय किया गया अनुबंध है, प्रदर्शन का दायित्व भिन्न प्रकार से सदस्य पर होगा।

11. C.

a. उपरोक्त वित्तीय अनुबंध की एक शर्त के लिए लागू नहीं होता है यदि यह –

   i. वित्तीय अनुबंध की विषय-वस्तु को परिभाषित करती है;

   ii. कीमत तय करती है जो वित्तीय अनुबंध में शामिल वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के प्रावधान के लिए प्रदत्त या देय है और ग्राहक को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है; या

   iii. किसी कानून या विनियम के तहत आवश्यक है या इसकी स्पष्ट रूप से अनुमति दी गयी है।

b. बिन्दु 11.C के तहत छूट उस शर्त पर लागू नहीं होती है जो उस राशि के भुगतान की चर्चा करती है जो किसी विशिष्ट घटना की उपस्थिति या गैर उपस्थिति पर निर्भर है।

12. सदस्य एवं अधिकृत व्यक्ति खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए सभी विवरणों या ग्राहक से संबंधित अन्य सभी जानकारी को गुप्त रखेंगे और वे किसी विशेष कानूनी/विनियामक आवश्यकताओं के अंतर्गत आवश्यक होने के अलावा किसी व्यक्तिधप्राधिकारी के समक्ष इसका खुलासा नहीं करेंगे। बशर्ते हालांकि सदस्य ग्राहक की सहमति से उसकी जानकारी को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

13.A. व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता की सुरक्षा

a. "व्यक्तिगत जानकारी" का अर्थ है कि कोई भी जानकारी जो ग्राहक से संबंधित है या ग्राहक की पहचान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगाने की अनुमति देती है, और इसमें शामिल है –

   i. नाम और संपर्क जानकारी;

   ii. बायोमीट्रिक जानकारी, व्यक्तियों के मामले में

   iii. लेनदेन, या जमा पूंजी, वित्तीय उत्पादों से संबंधित जानकारी

iv. वित्तीय सेवाओं के उपयोग से संबंधित जानकारी; या

v. इस तरह की अन्य जानकारी जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।

13.B.

a. सदस्य -

i. को वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के प्रावधान के लिए आवश्यक जानकारी के अतिरिक्त ग्राहक से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एकत्र नहीं करनी चाहिए;

ii. को ग्राहकों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और बिन्दु 13.B.b. के तहत स्पष्ट रूप से अनुमति दिए गए तरीके के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से तीसरे पक्ष को इसका खुलासा (प्रकटीकरण) नहीं करना चाहिए;

iii. को यह सुनिश्चित करने कि ग्राहक से संबंधित कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जो उनके पास है सही, अद्यतन और पूर्ण है, के लिए बेहतर प्रयास करना चाहिए;

iv. को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक किसी भी अपवाद जो नियामक निर्दिष्ट कर सकता है, की दशा में अपनी व्यक्तिगत जानकारी तक उचित पहुंच प्राप्त कर सकें; और

v. को ग्राहकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन करने के प्रयास के लिए प्रभावी अवसर देना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सदस्य के पास मौजूद व्यक्तिगत जानकारी सही, अद्यतन और पूर्ण है।

b. सदस्य ग्राहक से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी का तीसरे पक्ष को तभी खुलासा कर सकता है यदि –

i. सहमति से इनकार करने के लिए ग्राहक को एक प्रभावी अवसर प्रदान करने के बाद इसने खुलासे के लिए ग्राहक की पूर्व लिखित सूचित सहमति प्राप्त कर ली है;

ii. ग्राहक को खुलासा करने के लिए निर्देशित किया गया है;

iii. नियामक ने खुलासा करने का अनुमोदन किया या आदेश दिया है, और जब तक प्रासंगिक कानून या विनियमों द्वारा निषिद्ध है तब तक ग्राहक को इस खुलासे के विरूद्ध ऐसे कानून या विनियमों के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाता है;

iv. खुलासा करना किसी भी कानून या विनियम के तहत आवश्यक है और जब तक ऐसे कानून या विनियमों द्वारा निषिद्ध है तब तक ग्राहक को इस खुलासे के विरूद्ध ऐसे कानून या विनियमों के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाता है;

v. खुलासा ग्राहक के वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के प्रावधान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, यदि सदस्य –

1. ग्राहक को पहले से सूचित करता है कि व्यक्तिगत जानकारी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा की जा सकती है; और

2. यह सुनिश्चित करने कि तीसरा पक्ष व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता उसी तरह से बनाए रखेगा जिस तरह से इस भाग के तहत अपेक्षित है, की व्यवस्था करता है; या

vi. खुलासा वास्तविक या संभावित धोखाधड़ी, अनधिकृत लेनदेन या दावों से बचने या इसे रोकने के लिए किया जाता है, यदि सदस्य व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष के साथ इस भाग के तहत अपेक्षित तरीके से व्यवस्था करता है।

c. "तीसरे पक्ष" का अर्थ है कि सदस्य के रूप में समान समूह से संबद्ध व्यक्ति सहित संबंधित सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति।

14.A. प्रारंभिक और सतत दोनों आधार पर निष्पक्ष खुलासे की आवश्यकता

a. सदस्य को जानकारी जो संभवतः एक सूचित संव्यवहार निर्णय लेने हेतु ग्राहक के लिए आवश्यक है, का निष्पक्ष खुलासा सुनिश्चित करना चाहिए।

b. निष्पक्ष खुलासा करने के क्रम में, जानकारी –

   i. वित्तीय अनुबंध में ग्राहक के दाखिल होने से पहले पर्याप्त रूप से प्रदान की जानी चाहिए ताकि जानकारी समझने के लिए ग्राहक को उचित समय मिल सके;

   ii. लिखित में और इस तरह से प्रदान की जानी चाहिए कि एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित ग्राहक की समझ में आ सके; और

   iii. इस तरह से प्रदान की जानी चाहिए कि ग्राहक वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा की अन्य समान वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं के साथ उचित तुलना करने में सक्षम हो।

c. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के संबंध में ग्राहक को जिस प्रकार की जानकारी बतायी जानी चाहिए उसमें निम्न से संबंधित जानकारी शामिल हो सकती है –

   i. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के अभिलक्षणों, ग्राहक के लिए लाभों और जोखिम सहित इसकी मुख्य विशेषताएं;

   ii. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल या तरीका जिससे प्रतिफल की गणना की जाती है;

   iii. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय अनुबंध की किसी भी शर्त की मौजूदगी, बहिष्कार या प्रभाव;

   iv. सदस्य की पहचान, नियामक स्थिति और संबंधन सहित इसका स्वभाव, गुण और अधिकार;

   v. सदस्य का संपर्क विवरण और सदस्य एवं ग्राहक के बीच उपयोग की जाने वाली संचार की विधियां;

   vi. निर्धारित अवधि के भीतर वित्तीय अनुबंध रद्द करने के ग्राहक के अधिकार;

   vii. किसी भी कानून या विनियम के तहत ग्राहक के अधिकार।

14.B.

a. सदस्य को उस ग्राहक को निम्न सतत खुलासों के बारे में बताना चाहिए जो इसके द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा का लाभ उठा रहा है –

   i. उस जानकारी की किसी भी सामग्री में परिवर्तन जिसका उस समय पर जब ग्राहक ने वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा का शुरू में लाभ उठाया, बिन्दु 14.A के तहत खुलासा करना आवश्यक था;

   ii. ग्राहक द्वारा ग्रहण किए गए वित्तीय उत्पाद की स्थिति या प्रदर्शन से संबंधित जानकारी जो वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा में अधिकारों या हितों का आकलन करने के लिए आवश्यक हो सकती है; और

   iii. कोई अन्य जानकारी जो निर्दिष्ट की जा सकती है।

b. सतत खुलासा किया जाना चाहिए –

   i. किसी सामग्री परिवर्तन की घटना से उचित समय अवधि के भीतर या उचित आवधिक अंतराल पर, जैसा लागू हो; और

   ii. लिखित में और इस तरीके कि उस श्रेणी से संबंद्ध ग्राहक द्वारा समझा जा सके।

मार्जिन

15.ग्राहक लागू प्रारंभिक मार्जिन, काटी हुई मार्जिन, विशेष मार्जिन या ऐसे अन्य सभी मार्जिनों का भुगतान करेगा जिन्हें सदस्य या एक्सचेंज द्वारा आवश्यक माना जाता है या जैसा समय समय पर ग्राहक द्वारा ट्रेड किए जाने वाले सेगमेंटों पर लागू SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक माना जाता है। सदस्य को अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक में अतिरिक्त मार्जिन एकत्र करने की अनुमति है (भले ही एक्सचेंज, समाशोधन गृह या SEBI द्वारा आवश्यक न हो) और ग्राहक निर्धारित समय के भीतर ऐसे मार्जिनों का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

16.ग्राहक समझता है कि ग्राहक द्वारा मार्जिन का भुगतान आवश्यक रूप से सभी बकायों की पूर्ति नहीं करता है। लगातार मार्जिनों का भुगतान करने के बावजूद भी ग्राहक, अपने ट्रेड के निपटान पर, अनुबंध के अनुसार निर्दिष्ट आवश्यक उन सभी राशियों का भुगतान करने के लिए बाध्य (या प्राप्त करने का हकदार) है।

लेनदेन एवं निपटान

17.ग्राहक कमोडिटीज/डेरिवेटिव कंट्रैक्ट की खरीद या बिक्री के लिए कोई भी आदेश लिखित में या उस अन्य रूप या तरीके से देगा जिस पर ग्राहक एवं सदस्य परस्पर सहमत हों, हालांकि सदस्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में नियामकीय अपेक्षाओं का पालन किया जाए। सदस्य केवल उस ग्राहक को आवंटित अद्वितीय ग्राहक कोड में आदेश देना और ट्रेडों को निष्पादित करना सुनिश्चित करेगा।

18.सदस्य ग्राहक को ट्रेडिंगध्निपटान चक्र, डिलीवरीध्भुगतान अनुसूची, उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में सूचित करेगा और उसे इसके बारे में अवगत कराता रहेगा, और उस प्रासंगिक कमोडिटी एक्सचेंज की ऐसी अनुसूचियों/प्रक्रियाओं का पालना करना ग्राहक की जिम्मेदारी होगी जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है।

19.सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक द्वारा जमा किए गए धनध्प्रतिभूतियों को अलग खाते में रखा जाएगा जो उसके अपने खाते या किसी अन्य ग्राहक के खाते से अलग हो और इसे सदस्य द्वारा स्वयं के लिए या किसी अन्य ग्राहक के लिए या SEBI के नियमों, परिपत्रों, नोटिसों, दिशानिर्देशों और/या एक्सचेंज के कारोबारी नियमों, उप-नियमों, परिपत्रों एवं नोटिसों में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

20.जहां एक्सचेंज अपनी ओर से ट्रेड (ट्रेडों) को रद्द करता है तो ग्राहक की ओर से किए गए ट्रेड/ट्रेडों सहित ऐसे सभी ट्रेड स्वतः ही रद्द को जाएंगे, सदस्य ग्राहक(कों) के साथ संबंधित कांट्रैक्ट (कांट्रैक्ट्स) को रद्द करने का हकदार होगा।

21.एक्सचेंज पर निष्पादित किए गए लेनदेन नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों तथा उन एक्सचेंजों द्वारा जारी परिपत्रों/नोटिसों के विषयाधीन हैं जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है और ऐसे ट्रेड के सभी पक्षों को उन

एक्सचेंजों के उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों द्वारा निर्दिष्ट ऐसे न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में प्रस्तुत करना होगा जहां ट्रेड को एक्सचेंजों के नियमों, उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निष्पादित किया जाता है।

ब्रोकरेज (दलाली)

22. ग्राहक को सदस्य के लिए ब्रोकरेज एवं सांविधिक लेवी का भुगतान करना होगा जो समय समय पर प्रचलित होते हैं और जो ग्राहक के खाते, लेनदेनों एवं उन सेवाओं के लिए लागू होते हैं जिन्हें सदस्य ग्राहक को प्रदान करता है। सदस्य संबंधित कमोडिटी एक्सचेंजों के नियमों, कारोबारी नियमों एवं उप-नियमों और/या SEBI के नियमों के अनुसार मान्य अधिकतम ब्रोकरेज से अधिक ब्रोकरेज प्रभारित नहीं करेगा।

स्थिति का परिसमापन एवं बंद करना (पॉजिशन का लिक्विडेशन और क्लोज-आउट)

23. सदस्य के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (किसी भी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के अधिकार सहित), ग्राहक समझता है कि सदस्य मार्जिन या अन्य राशियों, बकाया ऋण आदि का भुगतान न करने पर ग्राहक की स्थितियों में से एक या सभी का परिसमापनध्बंद करने के लिए हकदार होगा और ग्राहक की देनदारियोंध्बाध्यताओं के एवज में, ऐसे परिसमापन/समाप्ति से प्राप्त आय को समायोजित करने का हकदार होगा। इस तरह के परिसमापनध्समाप्ति के कारण होने वाली कोई एक और सभी हानियां एवं वित्तीय प्रभार ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे।

24. ग्राहक की मृत्यु या दिवालिया होने की स्थिति में या ग्राहक द्वारा उन कमोडिटीज को प्राप्त करने या उनके लिए भुगतान करने या उन्हें सुपुर्द करने या स्थानांतरित करने में असमर्थ होने की घटना में जिसे उसने खरीदने या बेचने के लिए आदेश दिया है, सदस्य ग्राहक की संपत्ति के खिलाफ ग्राहक के लेनदेनों को बंद कर सकता है और हानियों का दावा कर सकता है, यदि कोई हो। ग्राहक या उसके नामिती, वारिस, उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती (असाइनी) उसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अधिशेष (लाभ) को प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। ग्राहक को ध्यान देना चाहिए कि एक नामिती के पक्ष में निधियों/कमोडिटीज का अंतरण कानूनी वारिस के खिलाफ सदस्य द्वारा मान्य तरीके से चुकाया जाएगा।

विवाद निपटान

25. सदस्य अपने माध्यम से किए जाने वाले सभी लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने में सहयोग करेगा।

26. ग्राहक एवं सदस्य जमा, मार्जिन धनराशि आदि के संदर्भ में किसी भी दावे और या विवादों को उन एक्सचेंजों के समय-समय पर प्रभावी हो सकने वाले नियमों, उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/नोटिसों के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करेंगे जहां ट्रेड को निष्पादित किया गया है।

27. ग्राहक/सदस्य समझता है कि विवाद समाधान के लिए ग्राहक/स्टॉक-ब्रोकर के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी निर्देश, यदि कोई हो, कथित प्रतिनिधि को कथित ग्राहक/सदस्य की ओर से सौदा करने के लिए अधिकृत करते हुए पत्र के अनुसार ग्राहक/सदस्य पर लागू होंगे।

28. प्रत्येक सदस्य के पास एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र जो इसके सभी ग्राहकों के लिए सुलभ हो, होने की आवश्यकता।

a. सदस्य के पास स्वयं द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं के संबंध में अपने ग्राहकों से या अपनी ओर से, त्वरित एवं निष्पक्ष तरीके से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए एक प्रभावी तंत्र होना चाहिए।

b. सदस्य को ग्राहक के साथ संबंध की शुरुआत में और इसी तरह अन्य समय पर जब ग्राहक के लिए संभवतः जानकारी आवश्यक है, ग्राहक को यह सूचित करना चाहिए –

    i. कि किसी भी शिकायत का निवारण करने का प्रयास करना ग्राहक का अधिकार है; और

    ii. अपने ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए सदस्य द्वारा प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

29.A. ग्राहक के लिए सलाह की उपयुक्तता

ऐसी सलाह प्राप्त करने का अधिकार जो ग्राहक की प्रासंगिक व्यक्तिगत परिस्थितियों जैसे कि ग्राहकों की वित्तीय परिस्थितियों और जरूरतों पर विचार करने के लिए उपयुक्त हो। यह दायित्व उस व्यक्ति पर लागू होगा जो ग्राहकों को सलाह देता है और नियामक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकता है जो इस तरह की सलाह दिए जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

a. सदस्य -

    i. को ग्राहक की प्रासंगिक व्यक्तिगत परिस्थितियों के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए समस्त प्रयास करने चाहिए; और

    ii. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक की प्रासंगिक व्यक्तिगत परिस्थितियों पर यथोचित विचार करने के बाद दी गयी सलाह ग्राहक के लिए उपयुक्त हो।

b. यदि सदस्य को यह यथोचित स्पष्ट है कि ग्राहक की प्रासंगिक व्यक्तिगत परिस्थितियों से संबंधित उपलब्ध जानकारी अधूरी या गलत है तो सदस्य को अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर कार्यवाही के परिणामों से ग्राहक को सचेत कर देना चाहिए।

c. यदि एक ग्राहक उस वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा जिसे सदस्य ग्राहक के लिए अनुपयुक्त निर्धारित करता है, का लाभ उठाना चाहता है तो सदस्य –

    i. को अपनी सलाह ग्राहक को स्पष्ट रूप से लिखित में और इस तरीके से बता देनी चाहिए जिसे ग्राहक द्वारा समझे जाने की संभावना है; और

    ii. केवल बिन्दु 29.A.a के साथ अनुपालन और ग्राहक से लिखित पावती प्राप्त करने के बाद ग्राहक द्वारा अनुरोध किए गए वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा प्रदान कर सकता है।

30. हित संघर्ष से निपटना

ग्राहक और सदस्य के हितों के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में, ग्राहक हितों को वरीयता दी जानी चाहिए।

a. सदस्य –

    i. को किसी प्रकार के विरोध किए गए पारिश्रमिक जिसे सदस्य ने ग्राहक को सलाह देने के लिए प्राप्त किया है या प्राप्त करने की उम्मीद करता है, सहित किसी भी हित संघर्ष से संबंधित जानकारी ग्राहक को प्रदान करनी चाहिए; और

    ii. ग्राहक के हितों को वरीयता देनी चाहिए यदि सदस्य –

        1. अपने स्वयं के हितों और ग्राहक के हितों के बीच संघर्ष को जानता है या यथोचित रूप में जानना चाहता है; या

2. संबंधित सदस्य के हितों और ग्राहक के हितों के बीच संघर्ष को जानता है या यथोचित रूप में जानना चाहता है, ऐसे मामलों में जहां सदस्य एक वित्तीय प्रतिनिधि है।

b. बिन्दु 16a.i. में शामिल जानकारी ग्राहक को लिखित में और इस तरीके से दी जानी चाहिए जिसे ग्राहक द्वारा समझे जाने की संभावना है और जानकारी प्राप्त होने की लिखित पावती ग्राहक से प्राप्त की जानी चाहिए।

c. इस खंड में, "विरोध किया गया पारिश्रमिक" का अर्थ है कि सदस्यों द्वारा ग्राहकों जो परिस्थितियों के तहत सदस्य द्वारा ग्राहक को दी गयी सलाह के प्रभावित होने की यथोचित रूप से उम्मीद कर सकते हैं, के अलावा अन्य व्यक्तियों से व्युत्पन्न कोई भी लाभ चाहे मौद्रिक या गैर-मौद्रिक हो।

संबंध की समाप्ति

31. सदस्य और ग्राहक के बीच यह संबंध समाप्त हो जाएगाय यदि सदस्य के डिफॉल्ट, मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन के कारण सदस्यता की समाप्ति सहित किसी भी कारण से सदस्य कमोडिटी बाजार का सदस्य नहीं रहता है या प्रमाण पत्र एक्सचेंज द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

32. सदस्य, अधिकृत व्यक्ति एवं ग्राहक अन्य पक्षों को कम से कम एक महीने पूर्व लिखित सूचना देने के बाद, दूसरे पक्ष को कोई कारण बताए बिना उन दोनों के बीच संबंध समाप्त करने के हकदार होंगे। किसी भी तरह की समाप्ति के बावजूद, इस संबंध की समाप्ति से पूर्व किए गए लेनदेनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित सभी अधिकारों, देयताओं और दायित्वोंध्बाध्यताओं का निर्वाह किया जाना जारी रहेगा, जो मामले के अनुसार, संबंधित पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, वारिसों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों पर लागू होगा।

33. अधिकृत व्यक्ति के निधन/दिवालिया होने, या बोर्ड के साथ उसका पंजीकरण रद्द होने या/कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा अधिकृत व्यक्ति की मान्यता छिनने और/या सदस्य द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ अनुबंध की समाप्ति की घटना में, किसी भी कारण के लिए ग्राहक को ऐसी समाप्ति के बारे में सूचित करना होगा और ग्राहक को सदस्य का प्रत्यक्ष ग्राहक होना चाहिए और सदस्य, अधिकृत व्यक्ति एवं ग्राहक को शासित करने वाले 'अधिकार एवं दायित्व' दस्तावेज(जों) में सभी उपबंध समान रूप से लागू होंगे, जब तक ग्राहक एक महीने से अधिक के लिए लिखित में एक नोटिस देकर उनके संबंध को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में सदस्य को सूचित नहीं करता है।

अतिरिक्त अधिकार एवं दायित्व

34. सदस्य और ग्राहक समय समय पर SEBI एवं उन प्रासंगिक एक्सचेंजों द्वारा जारी नियमों, कारोबारी नियमों, उप-नियमों, परिपत्रों, नोटिसों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार अपने खातों का मिलान करेंगे और निपटान करेंगे जहां ट्रेड निष्पादित किया गया है।

35. सदस्य अपने ग्राहकों के लिए आदेश संख्या, ट्रेड संख्या, ट्रेड समय, ट्रेड मूल्य, ट्रेड मात्रा, डेरिवेटिव कंट्रैक्ट के विवरण, ग्राहक कोड, ब्रोकरेज, सभी लागू प्रभार आदि एवं इस तरह से तथा एक्सचेंज द्वारा निर्धारित ऐसे समय पर एवं उसमें भरने के लिए आवश्यक अन्य सभी आवश्यक विवरणों के साथ सभी लेनेदेनों के रिकार्डो सहित समय समय पर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित ऐसे प्रारूप में निष्पादित ट्रेडों के लिए कंट्रैक्ट नोट जारी

करेगा। सदस्य मुद्रित प्रति में और/या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ट्रेडों के निष्पादन से 24 घंटे के भीतर निवेशकों को कंट्रैक्ट नोट भेजेगा।

36. सदस्य को मामले के अनुसार, उस प्रासंगिक एक्सचेंज से प्राप्त भुगतान की प्राप्ति से एक कार्य दिवस के भीतर ग्राहक को निधियों या कमोडिटीज की डिलीवरी के लिए भुगतान करना होगा जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है जब तक कि या तो ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो और उस एक्सचेंज द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषयाधीन न हो।

37. सदस्य समय-समय पर उस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसी अवधि और प्रारूप में अपने ग्राहकों में से प्रत्येक के संबंध में निधियों और कमोडिटीज दोनों के लिए 'खाता विवरण' भेजेगा जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है। विवरण यह भी बताएगा कि ग्राहक विवरण में, तत्काल गलतियों, यदि कोई हो, की सूचना, सदस्य (स्टॉक ब्रोकर) को प्राप्ति के बाद उस समय के भीतर देगा जो एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

38. सदस्य ग्राहकों के लिए दैनिक आधार पर मार्जिन विवरण भेजेगा। मार्जिन विवरण में नकदी, सावधि जमा रसीद (FDR), बैंक गारंटी, गोदाम रसीदें, कमोडिटीज आदि के संबंध में ब्रेक-अप के साथ अन्य बातों के साथ संपार्श्विक (कोलेटरल) जमा, प्रयुक्त संपार्श्विक एवं संपार्श्विक स्थिति (ग्राहक से प्राप्त बैलेंस/बकाया) का विवरण शामिल होना चाहिए।

39. ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास सदस्य के साथ संबंध में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित कानूनी क्षमता है और वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है, और वह इसके अंतर्गत अपने दायित्वों और कार्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम है। सभी लेनदेनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले सभी आवश्यक कार्य जिनमें ग्राहक प्रवेश कर सकते हैं, इस तरह के लेनदेन में प्रवेश करने से पहले ग्राहक द्वारा पूर्ण किए जाएंगे।

40. उस स्थिति में, जहां एक सदस्य अपनी सदस्यता त्याग देता/देती है, सदस्य निवेशकों के दावों यदि कोई हैं, को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक नोटिस देता है। एक्सचेंज के ट्रेडिंग सिस्टम पर संचालित लेन-देन से संबंधित दावे की स्थिति में, सुनिश्चित करें कि ग्राहक निर्धारित अवधि के भीतर और सहायक दस्तावेजों के साथ एक्सचेंज में दावा दायर करे।

41.A. अनुचित आचरण से संरक्षण जिसमें भ्रामक आचरण एवं अपमानजनक आचरण शामिल हैं

a. वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं के संबंध में अनुचित आचरण निषिद्ध है।

b. "अनुचित आचरण" का अर्थ है कि सदस्य या इसके वित्तीय प्रतिनिधि द्वारा कोई कृत्य या चूक जो सुविज्ञ संव्यवहार निर्णय लेने के लिए ग्राहक की क्षमता को काफी हानि पहुंचाती है, या जिससे काफी हानि होने की संभावना है और इसमें शामिल हैं –

    i. बिन्दु 41.B के तहत भ्रामक आचरण

    ii. बिन्दु 41.C के तहत अपमानजनक आचरण

    iii. ऐसा ही अन्य आचरण जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।

41.B.

a. निर्धारक कारक के संबंध में सदस्य या इसके वित्तीय प्रतिनिधि का आचरण भ्रामक होता है यदि इसके कारण ग्राहक के संव्यवहार निर्णय जिसे ग्राहक अन्यथा नहीं लेगा, लेने की संभावना है, और आचरण में शामिल है –

i. ग्राहक को गलत जानकारी देना या ऐसी जानकारी देना जिसके सत्य होने पर सदस्य या वित्तीय प्रतिनिधि को विश्वास नहीं है; या

ii. ग्राहक को कपटपूर्ण तरीके से सटीक जानकारी प्रदान करना।

b. यह निर्धारित करने में कि आचरण बिन्दु 41.B.a के तहत भ्रामक है या नहीं, निम्न कारक "निर्धारक कारक" समझे जाने चाहिए –

i. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के अभिलक्षणों, ग्राहक के लिए इसके लाभ और जोखिम सहित इनकी मुख्य विशेषताएं;

ii. किसी विशिष्ट वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के लिए ग्राहक की जरूरत या ग्राहक के लिए इसकी उपयुक्तता;

iii. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल या तरीका जिससे प्रतिफल की गणना की जाती है;

iv. वित्तीय अनुबंध की किसी भी शर्त की मौजूदगी, बहिष्कार या प्रभाव; जो उस वित्तीय अनुबंध के संदर्भ में भौतिक शर्त है;

v. सदस्य की पहचान, नियामक स्थिति और संबंधन सहित इसका स्वभाव, गुण एवं अधिकार; और

vi. किसी भी कानून या विनियम के तहत ग्राहक के अधिकार।

41.C.

a. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा के संबंध में सदस्य या इसके वित्तीय प्रतिनिधि का आचरण अपमानजनक होता है यदि इसमें –

i. दबाव या अनुचित प्रभाव का उपयोग शामिल है; और

ii. इसके कारण ग्राहक संव्यवहार निर्णय जिसे ग्राहक अन्यथा नहीं लेगा, लेता है या लेने की संभावना है।

b. यह निर्धारित करने में कि आचरण दबाव या अनुचित प्रभाव का उपयोग करता है या नहीं, निम्न पर विचार किया जाना चाहिए –

i. आचरण का समय, स्थिति, प्रकृति या दृढ़ता;

ii. धमकी भरी या अपमानजनक भाषा या व्यवहार का उपयोग;

iii. वित्तीय उत्पाद या वित्तीय सेवा से संबंधित ग्राहक के निर्णय को प्रभावित करने के लिए ग्राहक की किसी विशिष्ट विपत्ति या परिस्थिति का शोषण जिससे सदस्य अवगत है;

iv. सदस्य द्वारा लगाए गए गैर-अनुबंधीय अवरोध जहां ग्राहक वित्तीय अनुबंध के तहत अधिकारों का प्रयोग करना चाहता है, जिसमें शामिल है –

v. वित्तीय अनुबंध समाप्त करने का अधिकार;

vi. किसी अन्य वित्तीय उत्पाद या अन्य सदस्य की अदला-बदली का अधिकार और

vii. परिस्थितियों जिनसे खतरा है, के आधार पर कोई कार्यवाही करने का खतरा।

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रैक्ट नोट (ECN)

42. यदि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कंट्रैक्ट नोट प्राप्त करना चयन करता है तो उसे सदस्य को एक उपयुक्त ईमेल आईडी (ग्राहक द्वारा बनाई गई) उपलब्ध करानी होगी (कृपया अनुलग्नक 3 का परिशिष्ट A देखें)। सदस्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में समय-समय पर जारी समस्त नियमों/कारोबारी नियमों/उप-नियमों/परिपत्रों का अनुपालन किया जाए। ग्राहक को ईमेल आईडी में किसी भी परिवर्तन से एक भौतिक पत्र के माध्यम से सदस्य को सूचित करना होगा। यदि ग्राहक ने इंटरनेट ट्रेडिंग का चयन किया है तो ईमेल आईडी के परिवर्तन के लिए अनुरोध ग्राहक विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड के तरीके से सुरक्षित पहुंच के माध्यम से किया जा सकता है।

43. सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले सभी ECN डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, एन्क्रिप्टेड, छेड़छाड़ किए जाने से अक्षम एवं IT अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में होंगे। यदि ECN को एक अनुलग्नक के रूप में ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है तो संलग्न फाइल भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ एन्क्रिप्टेड एवं छेड़छाड़ किए जाने से अक्षम रूप में सुरक्षित की जाएगी।

44. ग्राहक को ध्यान देना चाहिए कि सदस्य द्वारा बाउंस मेल सूचना प्राप्त न होने पर ग्राहक की ईमेल आईडी पर कांट्रैक्ट नोट की सुपुर्दगी सुनिश्चित होगी।

45. सदस्य IT अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में एवं समय समय पर SEBI/कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों/विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तरीके से सॉफ्ट एवं टेंपर किए जाने से अक्षम प्रारूप में ECN और ईमेल की पावती अपने पास रखेगा। सुपुर्दगी का साक्ष्य यानी कंट्रैक्ट नोट भेजने के समय सिस्टम द्वारा जनरेटेड लॉग रिपोर्ट, SEBI/कमोडिटी एक्सचेंजों के मौजूदा विनियमों के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए सदस्य द्वारा रखी जाएगी। लॉग रिपोर्ट उन कंट्रैक्ट नोट्स के विवरण प्रदान करेगी जो ग्राहक को प्राप्त नहीं हुए हैं/ईमेल अस्वीकृत हुई है या वापस आ गई है। सदस्य हर बार SEBI/कमोडिटी एक्सचेंजों द्वारा जारी नियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर उसके द्वारा बाउंस होने वाली ईमेलों की सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा।

46. सदस्य ऐसे ग्राहकों के लिए भौतिक तरीके से कंट्रैक्ट नोट भेजना जारी रखेगा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कंट्रैक्ट नोट प्राप्त करना नहीं चुना है। जहां ECN ग्राहक तक नहीं पहुंचता है या ग्राहक की ईमेल आईडी से (ईमेल बाउंस) अस्वीकृत हो जाता है वहां सदस्य SEBI/कमोडिटी एक्सचेंजों के मौजूदा विनियमों/नियमों/उप-नियमों, कारोबारी नियमों और परिपत्रों के तहत निर्धारित समय के भीतर ग्राहक को एक भौतिक कंट्रैक्ट नोट भेजेगा और इस तरह के भौतिक कंट्रैक्ट नोट्स के प्रेषण और सुपुर्दगी का साक्ष्य बनाए रखेगा।

47. ग्राहक को ECN के ईमेल संचार के अतिरिक्त, सदस्य सुरक्षित तरीके से अपनी निर्दिष्ट वेबसाइट पर, यदि कोई हो, समान समय में ECN प्रकाशित करेगा और ग्राहकों को उस पर उपयुक्त पहुंच के लिए सक्षम करेगा और इस उद्देश्य के लिए वह ग्राहक को अनुबंध नोट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजने और प्रिंट आउट लेने के विकल्प के साथ एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराएगा।

48. ग्राहक जो अनुबंध नोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने का फैसला करता है उससे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रैक्ट नोट (ECN) घोषणा प्रपत्र प्राप्त करना। यह घोषणा तब तक मान्य रहेगी जब तक यह ग्राहक द्वारा निरस्त नहीं कर दी जाती।

कानून एवं न्यायिक क्षेत्र

49. इस दस्तावेज में वर्णित विशेषाधिकारों के अलावा, सदस्य, अधिकृत व्यक्ति एवं ग्राहक किसी भी अन्य अधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार होंगे जो सदस्य या ग्राहक को उन एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों जिसमें ग्राहक ट्रेड करने के लिए चयन करता है, तथा SEBI के नियमों के अंतर्गत जारी किए गए परिपत्रों/नोटिसों के तहत दिया गया हो सकता है।

50. इस दस्तावेज के प्रावधान हमेशा सरकारी अधिसूचनाओं, SEBI द्वारा जारी किन्हीं भी नियमों, दिशानिर्देशों तथा परिपत्र/नोटिसों, और उन संबंधित कमोडिटी एक्सचेंजों के परिपत्रों, नियमों, कारोबारी नियमों एवं उप-नियमों के विषयाधीन होंगे जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है, और जो समय समय पर प्रभावी हो सकते हैं।

51. सदस्य एवं ग्राहक, मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थ(थों) द्वारा पारित किसी भी अधिनिर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि यदि पार्टी मध्यस्थता अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील का प्रावधान भी है।

52. शब्द एवं तात्पर्यधभाव जिनका इस दस्तावेज में उपयोग किया गया है किंतु यहां परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, नियमों, उप-नियमों एवं विनियमों/कारोबारी नियमों तथा एक्सचेंजों/ SEBI द्वारा उसके तहत जारी परिपत्रों/नोटिसों में दिए गए अर्थ के समान अर्थ वाला माना जाएगा।

53. सदस्य द्वारा जोड़े गए सभी अतिरिक्त स्वैच्छिक उपबंध/दस्तावेज, एक्सचेंजों/SEBI के नियमों/कारोबारी नियमों/नोटिसों/ परिपत्रों के उल्लंघन वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे स्वैच्छिक उपबंधों/दस्तावेज(जों) में किसी भी परिवर्तन के लिए 15 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। एक्सचेंजों/ SEBI द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों एवं दायित्वों में किसी भी परिवर्तन के बारे में ग्राहकों को भी अवगत कराया जाएगा।

54. यदि यहां पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों को SEBI के नियमों या उन कमोडिटी एक्सचेंजों के उप-नियमों, नियमों एवं कारोबारी नियमों में बदलाव के आधार पर बदला जाता है जहां ट्रेड निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तनों को इस दस्तावेज में उल्लिखित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के संशोधन में शामिल किया हुआ माना जाएगा।

55. सदस्यों से उनके ग्राहकों को प्रत्येक महीने खाता विवरण भेजने की अपेक्षा की जाती है।

सदस्यों द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई इंटरनेट एवं वायरलेस तकनीक आधारित ट्रेडिंग सुविधा
(*'अधिकार एवं दायित्व'* दस्तावेज(जों) में वर्णित सभी खंड/उपबंध लागू होंगे। इसके अलावा, इसके अंतर्गत उल्लिखित खंड/उपबंध भी लागू होंगे।)

1. सदस्य वायरलेस तकनीक के उपयोग के माध्यम से इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग (IBT) एवं प्रतिभूति ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए प्रात्र है जिनमें मोबाइल फोन, डेटा कार्ड के साथ लैपटॉप, आदि उपकरणों का उपयोग शामिल होगा जिनमें इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) का उपयोग होता है। सदस्य SEBI और एक्सचेंजों द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार वायरलेस तकनीक का उपयोग करके इंटरनेट आधारित ट्रेडिंगध्प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए लागू सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

2. ग्राहक कमोडिटीज में निवेशध्ट्रेडिंग करने का इच्छुक है और इस उद्देश्य के लिए ग्राहक या तो इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग सुविधा या वायरलेस तकनीक के उपयोग के माध्यम से कमोडिटीज की ट्रेडिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए इच्छुक है। सदस्य ग्राहक को सदस्य की IBT सेवा प्रदान करेगा और ग्राहक सदस्य की IBT सेवा का लाभ उठाएगा जो SEBI/एक्सचेंजों के प्रावधानों और नियमों तथा सदस्य की IBT वेबसाइट पर निर्दिष्ट शर्तों के विषयाधीन है बशर्ते कि वे एक्सचेंजों/SEBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हों।

3. सदस्य वायरलेस तकनीकध्इंटरनेटध्स्मार्ट आर्डर रूटिंग या किसी भी अन्य तकनीक के माध्यम से कमोडिटीज की ट्रेडिंग से जुड़ी सुविधाओं, जोखिमों, जिम्मेदारियों, दायित्वों एवं देनदारियों के बारे में ग्राहक को अवगत कराएगा।

4. सदस्य ग्राहक को इसके बारे में अवगत कराएगा कि सदस्य का IBT सिस्टम प्रारंभिक पासवर्ड जनरेट करता है और इसकी पासवर्ड नीति एक्सचेंजों/SEBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार है।

5. ग्राहक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को गोपनीय एवं सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थापित किए गए सभी आदेशों एवं लेनदेन के प्रति पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा जिसने ग्राहक के उपयोगकर्ता नाम और/या पासवर्ड का उपयोग करते हुए सदस्य के IBT सिस्टम के माध्यम से इन्हें संपन्न किया हो, चाहे वह व्यक्ति ऐसा करने के लिए अधिकृत हो या न हो। इसके अलावा ग्राहक यह भी जानता है कि आदेश रूटेड (अनुमार्गण) सिस्टम के माध्यम से वायरलेस तकनीक द्वारा इंटरनेट ट्रेडिंग/ कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए प्रमाणीकरण तकनीकों एवं सखत सुरक्षा मानदंडों की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है कि ग्राहक और या उसके अधिकृत प्रतिनिधि का पासवर्ड सदस्य के कर्मचारियों एवं डीलरों सहित किसी भी तृतीय पक्ष को पता नहीं चलता है।

6. ग्राहक इस बारे में तत्काल सदस्य को लिखित में सूचित करेगा यदि वह अपना पासवर्ड भूल जाता है, उसे सदस्य के IBT सिस्टम में सुरक्षा खामी का पता चलता है, ऐसे अनधिकृत उपयोग, तिथि, तरीके और ऐसे अनधिकृत उपयोग से प्रभावित लेनेदेनों आदि की पूरी जानकारी के साथ अपने उपयोगकर्ता नामध्पावर्डध्खाते के माध्यम से विसंगतियों/अनधिकृत उपयोग का संदेह होता हैध्पता चलता है।

7. ग्राहक वायरलेस तकनीक के माध्यम से इंटरनेट/प्रतिभूति ट्रेडिंग से आर्डर रूट करने के लिए सेवा का लाभ उठाने के साथ जुड़े जोखिमों के बारे में पूर्णतया अवगत है और समझता है तथा ग्राहक किसी भी प्रकार से ग्राहक के उपयोगकर्ता नाम/पासवर्ड में किए गए सभी कृत्यों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होगा।

8. सदस्य ग्राहक को उसके अनुरोध पर ईमेल के माध्यम से ऑर्डरध्ट्रेड पुष्टिकरण भेजेगा। ग्राहक जानता है कि ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाता है। यदि ग्राहक वायरलेस तकनीक का उपयोग करके ट्रेड कर रहा है तो सदस्य ग्राहक के उपकरण पर ऑर्डर/ट्रेड पुष्टिकरण भेजेगा।

9. ग्राहक जानता है कि इंटरनेट पर ट्रेडिंग में कई अनिश्चित कारक शामिल होते हैं तथा जटिल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणालियां, संचार लाइनें, बाह्य उपकरण आदि रुकावटों एवं अव्यवस्थाओं के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। सदस्य एवं एक्सचेंज इस बात का कोई निरूपण नहीं करते या गारंटी नहीं देते कि IBT सेवा बिना किसी रुकावट के हर समय ग्राहक के लिए उपलब्ध होगी।

10. ग्राहक, सदस्य के IBT सिस्टम या सेवा या एक्सचेंज की सेवा या प्रणालियों के किसी भी निलंबन, रुकावट, अनुपलब्धता या सदस्य/एक्सचेंजों के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से ग्राहक/सदस्य/एक्सचेंज पर किसी भी लिंक/प्रणाली की विफलता के कारण अपने आदेशों के निष्पादन न होने पर, एक्सचेंज या सदस्य के खिलाफ काई दावा नहीं करेगा।

अनुलग्नक-2
जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज (Risk Disclosure Document)

एक्सचेन्ज न तो स्पष्ट रूप से और न ही अंतर्निहित रूप में, इस प्रकटीकरण दस्तावेज की पूर्णता, पर्याप्तता या सटीकता की गारंटी देता है और न ही एक्सचेन्ज कमोडिटी डेरिवेटिव्स(commodity derivatives) बाज़ार/ट्रेडिंग सेगमेंटों में भाग लेने के किसी भी गुण का अनुमोदन करते हैं या पारित करते हैं। यह संक्षिप्त विवरण ट्रेडिंग के सभी जोखिमों एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रकटीकरण नहीं करता है। इसलिए आपको डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में शामिल होने से पहले इसका भलीभांति अध्ययन कर लेना चाहिए।

निहित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, आपको केवल तभी लेनदेन करना चाहिए जब आप उस संविदात्मक संबध की प्रकृति और अपने जोखिम की हद को समझते हों जिसमें आप प्रवेश कर रहे हों।

आपको जानना चाहिए और पहचानना चाहिए कि कमोडिटी (commodity) फ्यूचर कांट्रैक्ट्स/डेरिवेटिव्स या कमोडिटी एक्सचेंज (जों) (Commodity Exchange(s)) पर ट्रेड किए जाने वाले अन्य विलेखों (इंस्ट्रूमेंट्स) में ट्रेडिंग, जिनमें विभिन्न मात्राओं में जोखिम शामिल होते हैं, आम तौर पर सीमित संसाधनों/सीमित निवेश और/या ट्रेडिंग अनुभव और कम जोखिम सहनशीलता वाले किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त स्थल नहीं है। इसलिए आपको अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए कि ऐसी ट्रेडिंग आपके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। यदि आप एक्सचेन्ज में ट्रेड करते हैं और प्रतिकूल परिणाम या नुकसान उठाते हैं, तो आप उस के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे और एक्सचेन्ज, किसी भी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा और आपके पास यह दलील देने का विकल्प नहीं होगा कि आपको शामिल जोखिम के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई थी या यह कि आपको संबंधित सदस्य (Members / Stock Brokers) द्वारा निहित पूर्ण जोखिम के बारे में नहीं बताया गया था। ग्राहक (client / investor) परिणामों के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे और उस आधार पर किसी भी कांट्रैक्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

आपको अभिज्ञापित और स्वीकृति देनी चाहिए कि एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले किसी कमोडिटी डेरिवेटिव की खरीद और/या बिक्री के आदेश निष्पादित करते समय लाभों की कोई गारंटी नहीं हो सकती है और/या हानियों का कोई अपवाद नहीं हो सकता है।

आपको यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि एक सदस्य के माध्यम से एक्सचेंज पर आपकी डीलिंग (लेनदेन), सदस्य द्वारा निर्धारित कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने के विषयाधीन होगी जिसमें अन्य चीजों के साथ साथ अपने ग्राहक को जानें फार्म को भरना, *क्या करें और क्या न करें*, आदि शामिल हो सकते हैं, और संबंधित एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों एवं कारोबारी नियमों, और SEBI द्वारा निर्धारित समय समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं एक्सचेंज द्वारा समय समय पर जारी किए जा सकने वाले परिपत्रों के विषयाधीन हैं।

एक्सचेंज कोई भी सलाह प्रदान नहीं करता है या सलाह देने की इच्छा नहीं रखता है और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जवाबदेह नहीं होगा जो एक्सचेंज के सदस्य और/या इस दस्तावेज में शामिल किसी भी जानकारी के आधार पर किसी भी तृतीय पक्ष के साथ किसी भी व्यावसायिक संबंध स्थापित करता है। इस दस्तावेज में शामिल किसी भी जानकारी को व्यावसायिक सलाह/निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह की ट्रेडिंग में शामिल जोखिमों को बिना पूर्ण-रूपेण समझे और बिना समीक्षा किए, ट्रेड करने के लिए कोई भी विचार नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो आपको उस बारे में पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।

यह विचार करने के लिए कि ट्रेड किया जाए या नहीं, आपको निम्नलिखित के बारे में जानकारी होनी चाहिए या इनसे परिचित होना चाहिएः-

1. **एक्सचेंज पर कमोडिटी फ्यूचर कांट्रैक्ट्स और अन्य कमोडिटी डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेन्ट्स की ट्रेडिंग से जुड़े मूलभूत जोखिम।**

   i. **उच्च अस्थिरता का जोखिम**

   अस्थिरता का तात्पर्य उस कीमत में गतिशील परिवर्तन से है जिस पर एक कमोडिटी/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट किया जाता है जब ट्रेडिंग गतिविधियां कमोडिटी एक्सचेंज में जारी रहती है। सामान्यतः एक कमोडिटी/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट की अस्थिरता जितनी उच्च होती है उसके मूल्य में परिवर्तन भी उतना ही अधिक होता है। सक्रिय कमोडिटी/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स की तुलना में कम ट्रेड की जाने वाली कमोडिटी डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स में सामान्यतः अधिक अस्थिरता हो सकती है। अस्थिरता के परिणाम के रूप में, आपके आदेश केवल आंशिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं या बिल्कुल भी निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, या वह कीमत जिस पर आपके आदेश निष्पादित किए जाते हैं, अंतिम ट्रेडेड कीमत से थोड़ी भिन्न हो सकती है या लगातार बदल सकती है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक नुकसान हो सकता है।

   ii. **निम्नतर तरलता (लोअर लिक्विडिटी) का जोखिम**

   a. तरलता एक प्रतिस्पर्धी कीमत पर और न्यूनतम कीमत अंतर के साथ तेजी से कमोडिटी डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स की खरीद और/या बिक्री के लिए बाजार सहभागियों की क्षमता को दर्शाती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक बाजार में उपलब्ध आदेशों की संख्या जितनी अधिक होती है, तरलता उतनी ही अधिक होती है। तरलता महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक तरलता के साथ, निवेशकों के लिए तेजी से और न्यूनतम कीमत अंतर के साथ कमोडिटी डेरिवेटिव कंट्रैक्ट्स को खरीदना और/या बेचना आसान हो जाता है, और परिणामस्वरूप, निवेशकों द्वारा खरीदी या बेची गई कमोडिटी/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स के लिए एक प्रतिस्पर्धी कीमत का भुगतान किए जाने या प्राप्त होने की संभावना होती है। सक्रिय कमोडिटी/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स की तुलना में कुछ कमोडिटी डेरिवेटिव में कम तरलता का खतरा हो सकता है। परिणामस्वरूप, आपका आदेश केवल आंशिक रूप से निष्पादित किया जा सकता है, या अपेक्षाकृत अधिक कीमत अंतर के साथ निष्पादित किया जा सकता है या बिल्कुल भी निष्पादित नहीं किया जा सकता है।
   b. कुछ निश्चित कमोडिटीज की डिलीवरी देने और/या लेने के इरादे के बिना उनकी खरीद या बिक्री के परिणामस्वरूप भी नुकसान हो सकता है, ऐसी स्थिति में, कमोडिटी/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स को अपेक्षित कीमत स्तरों की तुलना में, कम/उच्च कीमतों पर निपटान किया जा सकता है, इसलिए ऐसी कमोडिटी डिलीवर करने या प्राप्त करने के लिए कोई भी दायित्व न रखें।

   iii. **व्यापक स्प्रेड का जोखिम**

   a. स्प्रेड सर्वोत्तम खरीदी कीमत और सर्वोत्तम बिक्री कीमत के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह एक कमोडिटी/डेरिवेटिव खरीदने और इसके तुरंत बाद बेचने या विपरीत रूप से कीमतों के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है। निम्नतर तरलता एवं उच्च अस्थिरता के परिणामस्वरूप कम तरल

या गैर-तरल कमोडिटी/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स के लिए सामान्य से अधिक स्प्रेड हो सकता है। यह बदले में बेहतर कीमत की स्थापना में बाधा उत्पन्न करेगा।

iv. **जोखिम को कम करने वाले आदेश**

a. अधिकांश एक्सचेंजों पर निवेशकों के लिए "लिमिट आर्डर्स" "स्टॉप लॉस आर्डर्स" आदि की सुविधा रहती है। ऐसे आदेश (जैसे - "स्टॉप लॉस" आदेश, या "लिमिट" आदेश) को रखना जो हानियों को कुछ राशि तक सीमित करने का इरादा रखते हैं, कई बार प्रभावी नहीं हो सकते हैं क्योंकि बाजार की स्थितियों में तेज उतार-चढ़ाव के कारण ऐसे आदेशों को निष्पादित करना संभव नहीं हो सकता है।
b. एक "बाजार" आदेश की कीमत पर ध्यान दिए बिना विपरीत ओर से आदेशों की उपलब्धता के विषयाधीन तुरंत निष्पादित किया जाएगा और यह कि, जबकि ग्राहक को एक "बाजार" आदेश का त्वरित निष्पादन प्राप्त हो सकता है, निष्पादन बकाया आदेशों की उपलब्ध कीमतों पर हो सकता है जो कीमत समय प्राथमिकता पर आदेश मात्रा को संतुष्ट करते हों। यह समझा जा सकता है कि ये कीमतें उस कमोडिटी डेरिवेटिव कंट्रैक्ट में अंतिम ट्रेड किए गए मूल्य या सर्वोत्तम कीमत से काफी भिन्न हो सकती हैं।
c. एक "लिमिट" आदेश को केवल आदेश के लिए निर्दिष्ट "लिमिट" कीमत या एक बेहतर कीमत पर निष्पादित किया जाएगा। हालांकि, ग्राहक को मूल्य संरक्षण प्राप्त होता है तथापि यह संभावना है कि आदेश को बिल्कुल भी निष्पादित नहीं किया जा सकता है।
d. एक स्टॉप लॉस आदेश को सामान्यतः एक कमोडिटी/डेरिवेटिव कंट्रैक्ट की वर्तमान कीमत से "अलग" स्थापित किया जाता है, और ऐसे आदेश केवल तभी सक्रिय होते हैं जब कंट्रैक्ट स्टॉप कीमत पर पहुंचता है या उसके माध्यम से ट्रेड करता है। बिक्री स्टॉप आदेश साधारणतया वर्तमान कीमत से नीचे प्रविष्ट किए जाते हैं, और खरीद स्टॉप आदेश साधारणतया वर्तमान कीमत से ऊपर प्रविष्ट किए जाते हैं। जब कंट्रैक्ट पूर्व निर्धारित कीमत तक पहुंच जाता है, या इस तरह के मूल्य से होकर ट्रेड करता है तो स्टॉप लॉस आदेश एक बाजार/लिमिट आदेश में बदल जाता है और लिमिट पर या बेहतर स्थिति में निष्पादित किया जाता है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि लिमिट आदेश निष्पादन योग्य हो जाएगा, चूंकि एक कंट्रैक्ट पूर्व निर्धारित कीमत पर कार्य कर सकती है, ऐसी स्थिति में ऐसे आदेश के निष्पादित न होने का जोखिम सिर्फ एक नियमित लिमिट आदेश के रूप में उत्पन्न होता है।

v. **समाचार उद्‌घोषणाओं का जोखिम**

a. व्यापारियों/निर्माताओं द्वारा समाचार घोषणाएं की जाती हैं जो कमोडिटी और या कमोडिटी/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स के मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं। ये घोषणाएं ट्रेडिंग के दौरान की जा सकती हैं और कम तरलता एवं उच्च अस्थिरता के साथ संयोजित किए जाने पर, अचानक कमोडिटी/कमोडिटी डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स की कीमत में एक अप्रत्याशित धनात्मक या ऋणात्मक हलचल का कारण बन सकते हैं।

vi. **अफवाहों का जोखिम**

a. कई बार कमोडिटी की कीमत के बारे में शब्दों, समाचार पत्रों, वेबसाइटों या समाचार एजेंसियों आदि के माध्यम से बाजार में अफवाहें फैलने लगती हैं, निवेशकों को इससे सावधान रहना चाहिए और अफवाहों के आधार पर कार्य करने से बचना चाहिए।

vii. **प्रणालीगत जोखिम**

a. उच्च मात्रा ट्रेडिंग अक्सर बाजार खुलते समय और बाजार बंद होने से पहले घटित होगी। इस तरह की उच्च मात्रा दिन में किसी भी समय पर हो सकती है। इसके फलस्वरूप आदेश के निष्पादन या पुष्टिकरण करने में देरी हो सकती है।
b. अस्थिरता की अवधि के दौरान, लगातार अपने आदेश की मात्रा या कीमतों को संशोधित करने या नया आदेश स्थापित करने वाले बाजार भागीदारों की वजह से, आदेश निष्पादन एवं इसके पुष्टिकरण में देरी हो सकती है।
c. कुछ निश्चित बाजार परिस्थितियों में, एक उचित कीमत पर या समग्रतः बाजार में एक स्थिति को समाप्त करना तब मुश्किल या असंभव हो सकता है जब खरीद पक्ष या बिक्री पक्ष का कोई भी आदेश बकाया न हो, या यदि असामान्य ट्रेडिंग गतिविधि या कीमत के सर्किट फिल्टर को पार करने पर या किसी अन्य कारण की वजह से एक कमोडिटी में ट्रेडिंग को रोक दिया गया हो।

viii. **प्रणाली/नेटवर्क कंजेशन**

a. आदेशों को स्थापित करने और अनुमार्गित करने के लिए सेटेलाइट/लीज्ड लाइन आधारित संचार, तकनीकों और कंप्यूटर प्रणालियों के संयोजन पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है। इस प्रकार, वहां संचार विफलता या प्रणालीगत समस्याएं या प्रणाली से धीमी या देरी से प्रतिक्रिया या ट्रेडिंग को रोकने या ऐसी कोई अन्य समस्या/गड़बड़ मौजदू हो सकती है, जहां ट्रेडिंग प्रणाली/नेटवर्क के लिए पहुंच स्थापित करना संभव नहीं था, जो नियंत्रण से बाहर हो सकता है और जिसके परिणामस्वरूप आंशिक या पूर्ण रूप से खरीद या बिक्री आदेशों को संसाधित करने या न करने में देरी हो सकती है। आपको यह ध्यान देने के लिए आगाह किया जाता है कि यद्यपि ये समस्याएं स्वभावतः अस्थायी हो सकती है लकिन जब आपके पास खुली स्थिति या गैर-निष्पादित आदेश शेष हों तो ये सभी निष्पादित लेनदेनों का निपटान करने के लिए आपके दायित्वों के कारण जोखिम का वहन करते हैं।

2. **जहां तक फ्यूचर कमोडिटी डेरिवेटिव का संबंध है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं पर ध्यान दें और इनसे स्वयं को परिचित कराएं:-**

"लीवरेज" या "गियरिंग" का प्रभावः

a. मार्जिन की राशि कमोडिटी डेरिवेटिव कांट्रैक्ट की राशि का एक छोटा अनुपात होता है, अतः लेनदेन 'लीवरेज्ड' या 'गियर्ड' हो जाते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसे मार्जिन की एक अपेक्षाकृत छोटी राशि के साथ किया जाता है, प्रमुख निवेश राशि की तुलना में अधिक लाभ या हानि की संभावना प्रदान करती है। लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव में लेनदेन में उच्च स्तर का जोखिम शामिल होता है। इसलिए आपको वास्तव में कमोडिटी डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करने से पहले निम्न विवरणों को पूर्णतया समझना चाहिए और साथ ही व्यक्ति की परिस्थितियों, वित्तीय संसाधनों आदि को ध्यान में रखकर सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए।
b. फ्यूचर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग में सभी स्थितियों का दैनिक निपटान शामिल होता है। हर दिन खुली स्थितियों को समापन मूल्य के आधार पर बाजार के लिए चिन्हित किया जाता है। यदि समापन मूल्य आपके खिलाफ जाता है तो आपके लिए इस तरह के उतार चढ़ावों के फलस्वरूप होने वाले नुकसान की (अनुमानित) राशि जमा करना आवश्यक होगा। इस मार्जिन का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होगा, सामान्यतः अगले दिन ट्रेडिंग प्रारंभ होने से ठीक पहले।
c. यदि आप समय सीमा के अंदर अतिरिक्त मार्जिन जमा करने में विफल होते हैं या यदि आपके खाते में बकाया ऋण होता है तो एक्सचेंज का सदस्य पूरी स्थिति या उसके एक हिस्से को समाप्त कर सकते हैं। इस मामले में, आप इस तरह के निपटान/समाप्ति के फलस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे।
d. निश्चित बाजार परिस्थितियों के अंतर्गत, निवेशक के लिए ऐसे लेनदेन निष्पादित करना मुश्किल या असंभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह स्थिति गैर-तरलता जैसे कारकों के कारण हो सकती है यानी जब वहां अपर्याप्त बोलियां या प्रस्ताव होते हैं या कीमत सीमा या सर्किट ब्रेकर आदि के कारण ट्रेडिंग का स्थगन किया गया हो सकता है।
e. बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए मार्जिन दर में परिवर्तन, नकदी मार्जिन दर में वृद्धि आदि कदम उठाए जा सकते हैं। ये नए मानदंड मौजूदा अस्थिर ब्याज-राशि पर लागू किए जा सकते हैं। ऐसी स्थितियों में, आपको अतिरिक्त मार्जिन डालने या अपनी स्थितियों को कम करने की आवश्यकता होगी।
f. आपको अपने एक्सचेंज के सदस्य से उन कमोडिटी डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स की पूरी जानकारी यानी अनुबंध विनिर्देशों एवं उससे जुड़े दायित्वों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग करनी चाहिए जिन पर आपने ट्रेड करने की योजना बनाई है।

3. **वायरलेस तकनीक/या किसी अन्य तकनीक के माध्यम से ट्रेडिंगः**

वायरलेस तकनीक या किसी भी अन्य तकनीक के माध्यम से कमोडिटी की ट्रेडिंग से जुड़ी सुविधाओं, जोखिमों, जिम्मेदारियों, दायित्वों और देनदारियों को परिभाषित करने के लिए किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को सदस्य द्वारा ग्राहक के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

4. **सामान्य**

i. **जमा नकदी और संपत्ति:**
विशेषकर किसी फर्म के ऋणशोधनअक्षम या दिवालिया हो जाने की स्थिति में आपको खुद को उस धनराशि या अन्य संपत्तियों से संबंधित सुरक्षाओं से परिचित करना चाहिए जो आपने जमा की हों। आप जिस सीमा तक अपनी धनराशि या संपत्ति की वसूली कर सकते हैं उस पर विशिष्ट विधायन या स्थानीय कानून लागू होंगे। कुछ न्यायक्षेत्रों में संपत्ति, जिसे विशेष रूप से आपकी अपनी के रूप में पहचाना जा सकता हो, किसी गिरावट की स्थिति में वितरण के प्रयोजन से नकदी के समान यथानुपाती दर से तय की जाएगी। एक्सचेंज के सदस्य से किसी विवाद की स्थिति में वह एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और कारोबारी नियमों के अनुसार विवाचन के विषयाधीन होंगे।

ii. **कमीशन और अन्य प्रभार:**
आप द्वारा ट्रेड शुरू करने से पहले, आपको सभी कमीशनों, शुल्कों और अन्य प्रभारों के बारे में स्पष्ट विवरण प्राप्त करना चाहिए जो आपको चुकता करने होंगे। ये प्रभार आपके निवल लाभ (यदि कोई हो) को प्रभावित कर सकते हैं या आपकी हानि को बढ़ा सकते हैं।

iii. सदस्यों/अधिकृत व्यक्तियों/क्लाइंट्स के अधिकारों और दायित्वों के लिए, कृपया *परिशिष्ट 3* देखें।

iv. शब्द 'घटक' का तात्पर्य है और इसमें शामिल हैः एक क्लाइंट, एक ग्राहक या एक निवेशक जो एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए मैकेनिज्म के माध्यम से कमोडिटी/डेरिवेटिव कांट्रैक्ट में डील करने के लिए एक सदस्य के साथ सौदा करते हैं।

v. शब्द 'सदस्य' का तात्पर्य है और इसमें शामिल हैः एक ट्रेडिंग सदस्य, या सदस्य/ब्रोकर जिसे एक्सचेंजों द्वारा यथावत स्वीकार किया गया है और जिन्होंने SEBI से एक रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।